डाटा मैनेजमेंट पर हुई कार्यशाला

करौली (नि.स.) । जिला मुख्यालय पर डाटा मैनेजमेंट एवम उपयोग पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कार्यशाला की उपयोगिता के बारे बताया।

कार्यशाला में मण्डल के अध्यक्ष, महामंत्री एवम आई टी सेल प्रभारी शामिल हुए। कार्यशाला में आए हुए सभी प्रतिभागियों को डाटा मैनेजमेंट के जिला आई टी संयोजक योगेन्द्र सिंहल ने सभी को आई टी के उपयोग के बारे में बताया साथ ही भाजपा का मोबाइल एप्प इंस्टॉल करवा कर उस पर सभी का पंजीयन करवाया।

एप्प में सभी की प्रोफाइल भी पूर्ण करवाई। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक सिंह धाबाई,भाजपा नेता सतवीर सिंह चंदेला, जिला महामंत्री एवम डाटा मैनेजमेंट संयोजक धीरेन्द्र बैंसला,जिला उपाध्यक्ष एवम डाटा मैनेजमेंट सह संयोजक सुरेश शुक्ला,करौली मण्डल अध्यक्ष योगेश शर्मा,सायपुर नंद कुमार चतुर्वेदी,मंडरायल श्याम सुंदर शर्मा,करणपुर कमल मीणा,हाड़ौती चंद्रकला मीणा,कुडगांव रूप सिंह मीणा,नादौती देवेंद्र बना,करौली महामंत्री अजय पाल,आशीष जैन आदि उपस्थित रहे।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने डाटा मैनेजमेंट की महत्वतता बताई।

पंचायत राज मंत्री करेंगे ध्वजारोहण

करौली (नि.स.) गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह स्थानीय मुंशी त्रिलोकचन्द माथुर स्टेडियम में आज गुरूवार को हर्षोल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाया जायेगा जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध मे समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। समारोह मे ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद मीना मुख्य अतिथि के रूप मे ध्वाजारोहण करेंगे।

जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस गुरूवार को प्रातः 8 बजे कलेक्टर निवास पर, 8:30 बजे जिला कलक्ट्रेट में एवं 9:00 बजे माथुर स्टेडियम मे ध्वजारोहण किया जाएगा। तत्पश्चात पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रीय धुन प्रसारण किया जाएगा। प्रातः 9:05 बजे मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली जायेगी।प्रातः 9:20 बजे राज्यपाल के संदेश का पठन किया जाएगा।प्रातः 9:30 बजे सामुहिक व्यायाम,सूर्य नमस्कार प्रदर्शन एवं 9:55 बजे पारितोषण एवं प्रशस्ति पत्रों का वितरण किया जायेगा।प्रातः 10:15 बजे वीरांगनाओं को सम्मान एवं प्रातः 10:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जायेगी।प्रातः 10:50 बजे झांकियों का प्रदर्शन किया जायेगा।

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

कमांक : तामीरात/एफ ( )/न.नि.म./2022–23/13086–87 दिनांक : 24.1.2023

सार्वजनिक सूचना

आवेदिका श्रीमती ऊषा चंदेला पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह चन्देला, निवासी चन्देल भवन, नमक कटरा, भरतपुर द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या 391–ए, योजना न्यू पुष्पवाटिका फेज–1, भरतपुर की भवन निर्माण स्वीकृति (जी+1) चाहने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ अण्डरटेकिंग शपथ–पत्र, नगर निगम द्वारा जारी आवासीय पट्टा विलेख कमांक 284 दिनांक 05.01.2022 मय साईट प्लान श्री रविन्द्र तिवारी पुत्र श्री दामोदर लाल तिवारी, नगर निगम का शुद्धि पत्र कमांक 1264–66 दिनांक 12.12.2022, गूगल फोटो, साईट फोटो एवं साईट प्लान की चार प्रतियां संलग्न की हैं। प्रस्तावित साईट प्लान में आवेदित भूखंड का कुल क्षेत्रफल 171.11 वर्गगज/143.12 वर्गमीटर है। आवेदिका श्रीमती ऊषा चंदेला पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह चन्देला को भूखण्ड सं. 391–ए, योजना न्यू पुष्पवाटिका फेज–1, भरतपुर की आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति (जी+1) जारी किए जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी, नगर निगम भरतपुर

कार्यालय नगरपरिषद, करौली राज.

क्रमांक:–6075 दिनांक: 23.01.2023

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण एवं हितधारकों को सूचित किया जाता है कि निम्न अद्योलिखित आवेदक द्वारा पट्टा हस्तांतरण/नामांतरण/उपविभाजन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की है।

अतः कोई व्यक्ति/संस्था/हितधारक उक्त पत्रावलियों/दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहे अथवा कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे तथा किसी भी आवेदक की पत्रावली के संबंध में कोई जानकारी चाहते हो, वह अन्दर अवधि 07 योम/दिवस लिखित रूप में अपनी आपत्ति/उज्र इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है, वाद गुजरने म्याद कोई आपत्ति स्वीकार/समाहित नही की जावेगी तथा पट्टा नामान्तरण/हस्तानान्तरण/उपविभाजन की अन्तिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

क्र. सं.	नाम आवेदक	पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूखण्ड सं.	पट्टा संख्या	मूल/प्रारंभिक पट्टाधारी का नाम	साईज (वर्गगज)
1	कल्याण प्रसाद मीना	किशन लाल मीना	5621	–	253/84	श्री भूरजी पुत्र किशनलाल	106 वर्गगज

आयुक्त
नगरपरिषद, करौली

स्कूली प्रतिभाएं सम्मानित

हिण्डौन सिटी (का.सं.)। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंडावरा में बुधवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया ।

वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में मंडावरा सरपंच मधु शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक वीर सिंह बेनीवाल, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित धर्मराज जांगिड़ जी थे ।

सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की । इसके बाद सभी अतिथियों का साफा बंधन और माला पहनाकर स्वागत किया गया । इसके बाद बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए । जिनमें विशेषकर आज के समय सोशल मीडिया के अधिकतम उपयोग से बचने हेतु नाटक प्रस्तुत किया गया ।

श्रेष्ठ कार्य करने वाले सम्मानित

भरतपुर (निस)। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस सम्भागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा के मुख्य आतिथ्य में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समारोहपूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि सम्भागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नव मतदाताओं एवं अधिकाधिक वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार नवाचार किये जा रहे हैं जिनमें 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजर्ग व्यक्तियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान दिवस पर सुविधाऐं प्रदान कर मत देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की महती जिम्मेदारी है कि पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कर लोकतंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करें। उन्होंने इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों को मतदान की शपथ दिलायी। विशिष्ट अतिथि नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार ने कहा कि आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करना इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है क्योंकि वोट के माध्यम से हम संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों का चुनाव करते हैं इसलिए मतदाता अपने वोट के प्रति जागरूक रहें एवं उसका प्रयोग जिम्मेदारी से करें। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने जिले में संचालित स्वीप गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि युवा जागरूक रहकर अपना मतदाता सूची में नाम अवश्य जुडवा कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभायें। उन्होंने निर्वाचन से जुडे कार्मिकों का आह्वान किया कि वे ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से शेष न रहे जिससे कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इस अवसर पर एसएसआर 2023 में अतिथियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में श्रेष्ठ कार्य करने वाले निर्वाचन विभाग के 07 कार्मिकों, 10 बीएलओ को एवं स्वीप प्रतियोगिता में निबन्ध, कविता एवं स्लोगन लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थी वन्दना सिंह, तथा रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्रा भावना, प्रीति, जयमाला, एस.बी.के. स्कूल को पुरूस्कृत किया गया तथा नव मतदाता सिद्वार्थ सिंह, नेत्रपाल सिंह, टीना कुमारी, गुन्जन, काजल को ई-ईपिक कार्ड वितरित किये गये। कार्यक्रम का संचालन कवि अशोक धाकरे ने किया।

नाम परिवर्तन

महेन्द्र सिंह आयु 43 वर्ष पुत्र श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी महलौनी थाना व तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज.)। मेरे पुत्र अंगद सिंह का नाम सरकारी फौज ग्रिपकैम्प पुना में नाम संतोष दर्ज हो गया है। सहवन से नाम लिखा है। वास्तव में अंगद सिंह ही नाम है। अन्य कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है।

दिनांक 24–01–2023

आम सूचना

मैं ओमवती पत्नि स्व. श्री गजानन्द सिंह निवासी खारी का पुरा, झारेड़ा रोड, हिण्डौन सिटी जि. करौली (राज)। मेरे पति का स्वर्गवास 14.09.2020 को हो गया है मेरे पति के नाम एक मारुति शिफ्ट डिजायर कार सं. RJ34-CA-3540 है। जिसको मेरे नाम करवाना चाहती हूं यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह सात दिवस में परिवहन विभाग करौली में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जयसिंह चौहान ग्राम पोस्ट जीतकीपुर, तहसील नादौती जिला करौली, रजिस्ट्रेशन नम्बर. RF/KRL/2021/3258 फर्म में श्री जयसिंह चौहान, रविन्द्र सिंह, श्रीमती सन्तोष कंवर, राजकुमार भागीदार के रूप मे चले जा रहे थे। इनमें से एक साझेदार राजकुमार चौहान पुत्र श्री जयसिंह चौहान स्वेच्छा से फर्म से निष्कासित हो रहे हैं । अतः इस परिवर्तन से किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 कार्य दिवस के अंदर कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म जिला उद्योग केन्द्र करौली को अवगत करावे।

रजिस्ट्रार ऑफ फर्म
जिला उद्योग केंद्र करौली

कार्यालय नगर परिषद, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.)

क्रमांक:–न.प.हि./11188 दिनांक: 24.01.2023

लोक सूचना

क्र.सं.	नाम	पता
1.	सुरेश चंद जाटव पुत्र श्री रामस्वरूप	हिण्डौन सिटी जिला–करौली
2.	राजू पुत्र श्री रामस्वरूप	हिण्डौन सिटी जिला–करौली
3.	दयानंद पुत्र श्री रमेश चंद	हिण्डौन सिटी जिला–करौली
4.	हरिबाबू पुत्र श्री चौथ्याराम	हिण्डौन सिटी जिला–करौली
5.	महेश पुत्र श्री गंगासहाय	हिण्डौन सिटी जिला–करौली

ने कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हैं, अर्थात्

क्र.सं.	जिला एवं तहसील	ग्राम/कस्बा का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (है./ऐयर)
1.	करौली/हिण्डौन	हिण्डौन	1166	0.35
2.	करौली/हिण्डौन	हिण्डौन	1157/1, 1461	0.57, 0.01
3.	करौली/हिण्डौन	हिण्डौन	1667	0.55
4.	करौली/हिण्डौन	हिण्डौन	1673, 1675	0.01, 0.81
5.	करौली/हिण्डौन	हिण्डौन	1440/4	0.24

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर–2 किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–2 किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 14.01.2023 को जारी की गई।

आयुक्त
नगर परिषद, हिण्डौन

आज से शुरू होगा कांग्रेस का 'हाथ से हाथ जोड़ो' अभियान

जयपुर, (का.प्र.)। भारत जोड़ो यात्रा के फॉलोअप प्रोग्राम के रूप में 26 जनवरी से चलाए जाने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस देश के 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 10 लाख मतदान बूथों में ब्लॉक अध्यक्षों और अन्य नेताओं की सहायता से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटेगी।

■ केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट को घर-घर पहुंचाएगी कांग्रेस

भ्रष्ट जुमला पार्टी नाम से तैयार की गई चार्जशीट को कांग्रेस जनता के बीच लेकर पहुंचेगी, जिसमें सूट–बूट की लूट के तहत देश के 10 प्रतिशत अमीरों के पास देश की 64 प्रतिशत और 50 प्रतिशत आबादी के पास 6 प्रतिशत संपत्ति होना, किसानों की कर्ज माफी नहीं होकर अरबपतियों को 72 हजार करोड़ की कर्ज माफी, खास मित्रों को 30 प्रतिशत बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदान देना समेत कई बिंदु शामिल हैं।

इसके अलावा मोदी की छवि चमकाने पर टैक्स पेयर का 10 हजार करोड़ का प्रचार पर खर्चा, 90 प्रतिशत गुप्त इलेक्टोरल बांड से भाजपा की सरकारी हफ्ता वसूली, पार्टी भाई–भतीजा जनता पार्टी बनी, जिसमें राजनीतिक घरानों के 20 मंत्री, 14 एमपी और 31 एमएलए शामिल हैं। इसके साथ ही रोजगार, भुखमरी समेत कई बिंदु इस चार्जशीट में रखे गए हैं। कांग्रेस इसी चार्जशीट में केंद्र सरकार को चीन के मामले में भी घेरते दिखाई देगी, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। वहीं, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे है।

राजस्थान में भी 26 जनवरी से कांग्रेस की ओर से हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के जरिए राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता हर ब्लॉक पर हर मतदान बूथ तक पहुंचेंगे। इस अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी की ओर से आम जनता को घर–घर जाकर केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों की चार्जशीट, राहुल गांधी का आम जनता के लिए संदेश, राजस्थान सरकार के जनता के लिए किए गए कामों की सीट के साथ ही हर घर में राहुल गांधी की तस्वीर लगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का स्टिकर लगेगा।

इस अभियान के लिए राजस्थान के प्रभारी बनाए गए आरसी खूंटियां भी अभियान के लिए जयपुर पहुंचेंगे, जो 26 जनवरी को अजमेर, 27 को भीलवाड़ा, 28 को चित्तौड़गढ़, 29 को उदयपुर और 30 जनवरी को राजसमंद में कार्यकर्ताओं के साथ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 27 जनवरी को अजमेर संभाग के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और आम जनता संवाद करेंगे। अगले दिन 28 जनवरी को राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर संभाग के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। राजधानी जयपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा दोपहर 12:30 बजे मोती डूंगरी मंदिर से करेंगी।

गणतंत्र दिवस पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई

जयपुर । गणतंत्र दिवस पर प्रदेशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्था में कई आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों के साथ ही सहित विभिन्न पुलिसकर्मियों के कंधों पर रहेगा।

एडिशनल पुलिस कमिशनर लॉ एण्ड ऑर्डर कैलश चंद्र विश्नोई ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए है। इसके साथ ही सादा वस्त्रों में इंटेलिजेंस के पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए स्टेडियम के बाहर और अंदर क्यूआरटी और ईआरटी टीम के कमांडो भी तैनात रहेंगे।

आईबी का अलर्ट जारी होने के बाद गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया है।

कार्यालय नगरपरिषद, करौली जिला करौली (राज.)

क्रमांक/नपानि/भूमि/2022–23/6133 दिनांक: 23.01.2023

–:: सार्वजनिक नीलामी सूचना ::–

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगरपरिषद करौली द्वारा अधोलिखित कार्यक्रम अनुसार परिषद व स्वामित्व व कब्जे की सम्पत्ति ट्रांसपोर्ट नगर पर वाणिज्यिक भूखण्डों की नीलामी राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं यथासंशोधित नियमों के प्रावधानानुसार 99 वर्षीय लीज होल्ड राईटस/पूर्ण स्वामित्व के आधार पर मौके पर समय दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक की जावेगी। अतः इच्छुक व्यक्ति मौके पर उपस्थित होकर मुताबिक शर्तें नीलामी बोली में हिस्सा ले सकते है। अमानत राशि मौके पर नीलामी समाप्ति (नीलामी के दौरान भी) से पूर्व तक जमा की जा सकेगी। नीलामी के दौरान बोली अनवरत रूप से बढ़ती रही/लगती रही तो बोली समाप्त होने तक नीलामी कार्यवाही चलती रहेगी। नीलामी का विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। (1) DLB2223WSOB26387 (2) DLB2223WSOB26388 (3) DLB2223WSOB26389 (4) DLB2223WSOB26390 (5) DLB2223WSOB26392 (6) DLB2223WSOB26393

क्र. सं.	स्थान का नाम	दुकान सं.	दुकान साईज (फीट में)	नीलाम तिथि	अमानत राशि (प्रत्येक दुकान के लिए)	आरक्षित/सरकारी बोली (प्रत्येक दुकान के लिए)
1.	ट्रांसपोर्ट नगर	01 से 10	15"x10"=150 वर्गफुट	27.02.2023 से 28.02.2023	10000/–	270180/–
2.	रिलायंस	11 से 20	15"x10"=150 वर्गफुट	02.03.2023 से 03.03.2023	10000/–	270180/–
3.	पेट्रोल पम्प के	21 से 30	15"x10"=150 वर्गफुट	09.03.2023 से 10.03.2023	10000/–	270180/–
4.	सामने हिण्डौन	31 से 40	15"x10"=150 वर्गफुट	14.03.2023 से 15.03.2023	10000/–	270180/–
5.	रोड–करौली	41 से 50	15"x10"=150 वर्गफुट	20.03.2023 से 21.03.2023	10000/–	270180/–
6.		51 से 55	15"x10"=150 वर्गफुट	27.03.2023 से 28.03.2023	10000/–	270180/–

नोट– दुकानों के विक्रय की निम्न शर्ते होगी।

1. प्रत्येक बोलीदाता से नीलामी मे बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विर्निदिष्ट राशि जमा कराने की अपेक्षा की जावेगी जो बोली के अन्त मे उसे असफल होने की स्थिति में प्रतिसंदत्त कर दी जावेगी तथा सफल बोली दाता की दशा मे प्रीमियम राशि के अन्तर्गत समायोजित कर ली जावेगी। जिस व्यक्ति के नाम उच्चतम बोली अधिनिर्णित होगी उसे नीलामी की तारीख से तीन कार्य दिवसो के भीतर अपनी बोली राशि भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं यथासमय संशोधित नियमों के अन्तर्गत जमा कराना होगी निर्धारित समयावधि में राशि जमा कराने में विफल रहने पर विफलता के कारण बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा, दुकान की नीलामी स्वतः रूप से रद्द हो जावेगी / मानी जावेगी।
2. बोली लगाने वाले व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेंस / पेन कार्ड / राशनकार्ड / आधारकार्ड की प्रति पहचान के रूप मे बोली स्थल पर प्रस्तुत करना होगी अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर नोटरी से तस्दीकशुदा अधिकार पत्र (100 /– रूपये के शपथ पत्र पर) नीलाम समिति को प्रस्तुत करना होगा।
3. दुकाने को 99 वर्षीय लीज होल्ड राईट्स/पूर्ण स्वामित्व के आधार पर नीलाम की जावेगी तथा व्यावसायिक भूखण्डों पर आरक्षित मूल्य की 5% वार्षिक दर से लीजमनी जमा कराना होगी।
4. भूखण्डों के स्वामित्व के दस्तावेजो (रजिस्ट्री) इत्यादि पर होने वाला व्यय क्रेता का स्वयं वहन करना होगा।
5. भूमि विक्रय सम्बन्धी समस्त नियमों एवं आदेशों की अनुपालना क्रेता को अनिवार्य रूप से करना होगी।
6. नल, बिजली, सड़क, पानी आदि निर्माण बोर्ड की सुविधानुसार/निर्देशानुसार किया जावेगा।
7. योजना मे विभिन्न साईज के दुकानो की मौके की स्थिति अनुसार उपलब्ध क्षेत्रफल की राशि सफल बोलीदाता को नीलामी में प्रदत्त बोली अनुसार जमा कराना होगी।
8. नीलामी तिथि को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
9. नीलामी तिथियों में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
10. नीलामी की बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक सक्षम अधिकारी उसे स्वीकार न कर दे।
11. बोली स्वीकार होने पर सफल बोलीदाता द्वारा भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत राशि जमा करानी होगी।
12. अन्य सभी राजकीय नियमों आदेशों (समय–समय पर यथा संशोधित) की पालना क्रेता / खरीददार को करनी होगी तथा भविष्य मे इस बाबत कोई नियम बनाये जायेगे तो वह भूखण्डों पर लागू होगे।
13. नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नीलामी समिति मे निहित होगा, जो समस्त बोलीदाताओं को मान्य होगा।
14. अन्य शर्ते एवं जानकारी कार्यालय समय मे कार्यालय में देखी जा सकेगी।

(रसीदा खातून)
सभापति
नगरपरिषद, करौली

(नरसी मीना)
आयुक्त
नगरपरिषद, करौली

सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जयपुर पहुंचे

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जयपुर प्रांत के पांच दिवसीय प्रवास पर बुधवार रात जयपुर पहुंचे और 29 जनवरी तक रहेंगे।

जयपुर प्रांत के प्रांत संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो ने बताया कि डॉक्टर भागवत 26 जनवरी को केशव विद्यापीठ जामडोली में विद्यालय के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रातःध्वाजारोहण करेंगे। इसी दिन दोपहर में संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में कार्यकर्ता सपरिवार उपस्थित रहेंगे। 27 जनवरी को वे जयपुर के संघ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसी प्रकार 28 व 29 जनवरी को भी संघ के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। बैठकों में समाज सशक्तिकरण की दिशा में चलने वाली गतिविधियों यथा कुटुम्ब प्रबोधन, सामाजिक समरसता और पर्यावरण पर भी मंथन होगा।

उल्लेखनीय है कि सरसंघचालक का यह नियमित प्रवास है, जो दो वर्ष में एक बार प्रत्येक प्रांत में होता है। पिछले वर्ष चित्तौड़ प्रांत के उदयपुर में सरसंघचालक का प्रवास हुआ था। देशभर में संघ के 45 प्रांत है, इसी प्रकार राजस्थान क्षेत्र में जयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर प्रांत है। प्रवास के क्रम में प्रांत को वर्ष में एक बार सरसंघचालक और दूसरी बार सरकार्यवाह का प्रवास मिलता है। इस दौरान समाज सशक्तिकरण की दिशा में चल रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा होगी।

होमगार्ड कल्याण कोष की राशि अन्य मदों में खर्च नहीं हो : हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि प्रकरण के निस्तारण तक होमगार्ड कल्याण कोष में जमा राशि का उपयोग होमगार्ड के लिए ही किया जाए। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पैसा अन्य गतिविधियों में खर्च नहीं हो। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश होमगार्ड समन्वय समिति की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी हजारों होमगार्ड के वेतन से प्रतिवर्ष राशि लेकर होमगार्ड कल्याण कोष बनाया गया है। इसमें होमगार्ड और उसके परिवार के कल्याण के लिए दैनिक वेतन से दस फीसदी राशि का संग्रहण किया जाता है, लेकिन इस फंड की कोई ऑडिट नहीं की जाती। इस कोष में करोड़ों रुपए की राशि जमा हो चुकी है। वहीं होमगार्ड से जुडे आलाधिकारी भी नाममात्र का अंशदान कर इस फंड के सदस्य बन जाते हैं। वहीं फंड में जमा धनराशि का उपयोग होमगार्ड कल्याण के बजाए विभाग में फर्नीचर खरीद, कार पार्किंग के शेड निर्माण, और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों आदि पर खर्च किया जा रहा है। इस राशि को होमगार्ड के प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं भविष्य निधि विभाग भी मान चुका है कि इसके लिए पिछले एक दशक से राज्य सरकार से पत्राचार किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि पीएफ में राशि जमा नहीं कराने पर दंड का प्रावधान है, लेकिन सरकार की ओर से यह राशि जमा नहीं कराई जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान इस कोष में जमा राशि का अन्य उपयोग नहीं किया जाए।